न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, पीलीभीत।
सत्र वाद संख्या 129/2020
राज्य बनाम सुरेश बाबू आदि

25.10.2021

1— प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से द्वारा अधिवक्ता न्यायालय द्व ारा पारित उक्त तलबी आदेश दिनांकित 26.2.2020 के विरूद्ध अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 21.9.2020 को आपत्ति ख—13 इन कथनों के साथ प्रस्तुत की कि वादिनी ने ऐसा कोई भी गवाह अन्वेषण के समय पेश नहीं किया है जिससे मामला साबित हो केवल एक गवाह फूलचंद को दर्शाया है जो कि वादिनी का देवर है। उसने भी घटना का पूर्ण समर्थन नहीं किया है। वादिनी की चोटें साधारण प्रकृति की हैं। अभियुक्त सुरेश बाबू ने ही वादिनी की शौचालय निर्माण की स्वीकृति दिलवाई थी। परंतु वादिनी शौचालय का पानी गांव के अन्दर बने ग्राम समाज के तालाब से निकालना चाहती थी। इस पर अभियुक्तगण ने आपत्ति की जिस पर वादिनी अभियुक्तगण से रंजिश मानने लगी। केस डायरी पर उपलब्ध अन्य गवहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। आपत्तिकर्तगण के विरूद्ध लिया गया प्रसंज्ञान हर प्रकार से असामान्य है तथा विरोध याचिका के आधार पर निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत आदेश माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के विपरीत पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।
2— प्रार्थिनी/वादिनी गोदावरी की ओर से अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत विरोध याचिका ख—13 दिनांकित 21.9.2020 के विरूद्ध आपत्ति इन कथनों के साथ प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थिनी उक्त सत्र परीक्षण में वादिनी है और न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को तलबी नोटिस जारी किया गया और अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये एवं अपनी आपत्ति विरूद्ध तलबी श्रीमान न्यायालय में योजित कर दी जो कि विधि प्राविधानों के प्रतिकूल है और सम्मन तलबी के विरूद्ध पोषणीय नहीं है और अभियुक्तगण लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। अतः अभियुक्तगण की आपत्ति निरस्त कर गैर जमानती वारंट जारी करने की कृपा करें।
3— मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।
4— प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी/वादिनी गोदावरी द्वारा धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय के आदेश दिनांकित 15.11.18 के अनुसार थाना बिलसंडा में अपराध संख्या 529/18 धारा 307, 392 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में दिनांक 1.12.2018 को अभियुक्तगण सुरेश बाबू, वेद प्रकाश, अजय प्रताप उर्फ लालू व संजीव उर्फ कांगू के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी।
5— उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी थी कि वादिनी के गांव के नामित अभियुक्तगण से प्रार्थिनी की लैटरीन निर्माण की जगह को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के कारण दिनांक 15.10.18 को समय करीब सुबह 9 बजे प्रार्थिनी अपनी दवाई लेने बिलसंडा आ रही थी तो सभी अभियुक्तगण खेत के सामने अपने हाथों में चाकू, दरांती व लाठी डंडे लेकर घात लगाये बैठे थे और प्रार्थिनी को देखते ही उक्त लोगों ने प्रार्थिनी को घर लिया और यह कहते हुये कि आज साली धनकुटटी बचने न पाये शब्दों से अपमानित करते हुये जान से मारने की नियत से हमला कर दिया जिससे प्रार्थिनी को गम्भीर चोटें आयीं हैं तथा उक्त लोगों ने प्रार्थिनी के पास के 500/—रु0 व प्रार्थिनी के कानों के कुण्डल नोच लिये। इसी बीच रास्ते के राहगीर फूलचंद व अन्य ने देखा और ललकारने पर अभियुक्तगण भाग गये।
6— उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचना प्रारम्भ हुई तथा विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा उक्त प्रकरण में अंतिम आख्या न्यायालय में दाखिल की गयी। जिस पर वादिनी को नोटिस जारी किया गया तथा वादिनी मुकदमा द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के उपरान्त मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित होने व वादिनी की इंजरी रिपोर्ट व केस डायरी पर उपलब्ध धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों को देखते हुये पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या को निरस्त करते हुये अभियुक्तगण सुरेश बाबू, वेद प्रकाश, अजय प्रताप उर्फ लालू व संजीव उर्फ कांगू को धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण को जरिये सम्मन विचारण हेतु आदेश दिनांकित 26.2.2020 के माध्यम से तलब किया गया।

.....2

7— पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि मेरे विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री रामचन्द्र—पंचम, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट द्वारा दिनांक 26.2.2020 को पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर तथा अभियुक्तगण के प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद होने व वादिनी की चिकित्सकीय परीक्षण आख्या के आधार पर अभियुक्तगण सुरेश बाबू, वेद प्रकाश, अजय प्रताप उर्फ लालू व संजीव उर्फ कांगू को धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)(5ए), एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में तलब किया गया है।

8— यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतिम आख्या पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गयी थी जिसके विरूद्ध वादिनी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था तथा मेरे विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री रामचन्द्र—पंचम द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पाते हुये अंतिम आख्या को निरस्त करते हुये अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं में तलब किया गया था।

9— चूंकि अभियुक्तगण को न्यायालय के आदेश की पूर्ण जानकारी है। किन्तु अभियुक्तगण द्वारा इस मामले में न तो अपनी जमानत करायी गयी है और न ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। मात्र यह प्रार्थनापत्र ख—13 न्यायालय में डाकखाने की तरह डालकर चले गये हैं न ही प्रार्थनापत्र पर कोई अधिवक्ता काफी समय दिये जाने के वावजूद बहस हेतु उपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र मामले के निस्तारण में विलंब कारित करने हेतु ही यह प्रार्थनापत्र दिये जाने का उददेश्य प्रतीत होता हे।

10— यह उल्लेखनीय है कि ख—13 विरोध याचिका अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि आदेश दिनांकित 26.2.2020 को निरस्त कर दिया जावे। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक न्यायालय को अपने द्वारा पारित आदेश पर पुर्नविचार करने का न तो कोई अधिकार है और न ही ऐसा कोई विधिक प्राविधान है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ख—13 विधिक रूप से पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत विरोध याचिका ख—13 निरस्त की जाती है। अभियुक्तगण जरिये जमानतीय वारंट मु0 20,000/—रु0 दिनांक 23.11.2021 के लिए तलब हों।

पत्रावली वास्ते हाजिरी मुलजिमान दिनांक 23.11.2021 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
पीलीभीत।

दिनांकः 25.10.2021

Digitally signed by Rakesh Vashisht
Date: 2021.10.26 15:06:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court